ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा–846004

पत्रांकः स्ना॰शै॰–54/23 दिनांक 27/03/2023

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष / विभागाध्यक्षा,
   स्नातकोत्तर विभाग,
   ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
2. सभी प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या,
   (स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालय),
   ल० ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

विषयः–स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र– (2022–24) में नामांकन के संबंध में।

महाशय / महाशया,

उपरोक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र– 2022–24 मे नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची विश्वविद्यालय के वेबसाईट (www.lnmu.ac.in) पर जारी कर दी गयी है। विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातकोत्तर विभागाध्यक्षों एवं स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों से अनुरोध है कि ***दिनांकः– 31.03.2023 से 11.04.2023 तक*** चयनित छात्र / छात्राओं का आवंटित विभाग / महाविद्यालय में आवश्यक प्रमाण–पत्र के जाँचोपरान्त नामांकन सुनिश्चित किया जाय। विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष एवं स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालय के प्रधानाचार्य निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए नामांकन सुनिश्चित करेंगेः–

1. छात्र / छात्रा अपना चयन–पत्र (Selection letter) विश्वविद्यालय के वेबसाईट से यूजर आई–डी एवं पासवर्ड (User I.D and password) के द्वारा लॉग–इन (login) कर डाउनलोड कर सकते हैं। आप यह सुनिश्चित कर लेंगे कि छात्र / छात्रा इसी विभाग / महाविद्यालय के लिये चयनित हुए है।
2. यह चयन सूची आवेदकों द्वारा आवेदन में भरे गये तथ्यों के आधार पर तैयार की गयी है। अतएव विभागाध्यक्ष / प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि आवेदकों द्वारा आवेदन प्रपत्र में भरे गये तथ्यों की जाँच कर एवं सभी प्रकार के कागजात सही पाये जाने की स्थिति में हीं नामांकन की अनुसंशा करेंगे।
3. स्नातकोत्तर में नामांकन CBCS Regulation के तहत लिया जाता है। परिनियम के अनुसार स्नातकोत्तर में नामांकन के लिये प्रतिष्ठा (Honours) विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत, अनुषांगिक (Subsidiary), सामान्य पाठ्यक्रम (Pass Course), मातृभाषा MB(Maithili) एवं संबद्ध विषय (Allied Subject) में न्यूनतम 55 प्रतिशत से कम अंक है तो ऐसे छात्र / छात्रा नामांकन के पात्र नहीं होंगे।
4. यदि छात्र / छात्राओं द्वारा अपने आवेदित विषय में स्नातक स्तरीय परीक्षा में प्राप्त कुल प्राप्तांक से अधिक प्राप्तांक भरें हैं तो ऐसे छात्रों का नामांकन नहीं लिया जाय।
5. विभागाध्यक्ष / प्रधानाचार्य छात्रों का किसी भी परिस्थिति में आवेदित ***विषय*** को परिवर्तन कर नामांकन नहीं लेंगे।

27/3/23

6. यदि छात्र/छात्रा आरक्षरण कोटि के अधीन नामांकन हेतु आवेदन किये हैं तो ऐसे छात्र/छात्राओं के आरक्षण कोटि के प्रमाण–पत्रों की जाँच कर नामांकन लेंगे। छात्र/छात्राओं द्वारा आरक्षण कोटि से इतर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्र/छात्राओं का नामांकन नहीं लेगे।
7. विशेष कोटा यथा NCC, NSS, Fine Arts, Sports इत्यादि से संबन्धित नामांकन की सूची विश्वविद्यालय द्वारा बाद में जारी की जायेगी, अतएव विभागाध्यक्ष/प्रधानाचार्य अपने स्तर से किसी भी कोटा सीट के अन्तर्गत नामांकन नहीं लेंगे।
8. नामांकन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति एवं सभी वर्ग के महिलाओं को नामांकन के समय किसी भी प्रकार के शुल्क नहीं लेंगे। किसी भी महाविद्यालय के द्वारा किसी भी प्रकार का नामांकन के समय शुल्क लिया जाता है तो एतद् सम्बन्धित सूचना राज्य सरकार को दिया जायेगा।
9. नामांकन के समय छात्र/छात्राओं को निम्नांकित अभिलेखों को संलग्न कर नामांकन लेना अनिवार्य होगाः–
   क) कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म (सी0 ऐ0 एफ0)
   ख) चयन–पत्र (सेलेक्शन लेटर)।
   ग) मूल अंक–पत्र की छाया–प्रति
   घ) महाविद्यालय परित्याग प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
   च) पासपोर्ट साईज फोटो की दो प्रतियाँ।
   छ) आरक्षण कोटि प्रमाण–पत्र जहाँ लागू हो।
   ज) आधार कार्ड की छाया–प्रति। (यदि हो)
   झ) दिव्यांग कोटा के अधिन वैसे छात्र/छात्रा नामांकन के पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो एवं सक्षम पदाधिकारी यथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित मेडिकल वोर्ड द्वारा दिव्यांगता प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया हो। यदि आवेदक द्वारा उपरोक्त प्रमाण–पत्र नामांकन के समय प्रस्तुत नहीं करते हैं तो ऐसे छात्र/छात्राओं का नामांकन नहीं लिया जाय।

नोटः–

1. ***स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालय के ई–मेल पर डैस–बोर्ड की लिंक भेज दी गयी है, डैस–बोर्ड से छात्रों की चयन सूची डाउनलोड कर मिलान करते हुए छात्र/छात्राओं का नामांकन सुनिश्चित करेंगे।***
2. ***दिनांक–12.04.2023 से वर्ग प्रारंभ किया जाना है। नामांकित छात्रों का प्रेरण–वर्ग (Induction Programme) के कार्यक्रम करेंगे। कार्यक्रम से सम्बन्धित फोटो विभाग/महाविद्यालय में संरक्षित कर रखेंगे।***
3. ***सभी विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्षा, नामांकित छात्र/छात्राओं का नामांकन सूची Update हेतु विहित प्रपत्र में बनाकर जिसमें 1. नाम 2. विषय 3. अप्लीकेशन आई0 डी0 नं0 4. वर्ग क्रमांक 5. महिला/पुरूष 6. आरक्षण कोटि आदि दिनांक–14.04.2023 तक निश्चित रूप से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करेंगे, यदि निर्धारित समयावधि में उपरोक्त वर्णित विहित प्रपत्र में जमा नही करते है तो यह समझा जायेगा कि संबंधित छात्र/छात्रा नामांकन हेतु विभाग में उपस्थित नहीं हुए। उन सीटों को रिक्त मानते हुए विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय चयन सूची जारी किया जायेगा।***

27/3/23

4. स्नातकोत्तर अध्यापन वाले महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, नामांकित छात्र/छात्राओं का **Dash Board** पर **Updation** अधिकतम –14.04.2023 तक किया जाना सुनिश्चित करेंगे। **Update** करने में यदि किसी भी तरह की कठिनाई होती है तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरी कार्यालय से सम्पर्क करें। जिन छात्रों के नामांकन को महाविद्यालय द्वारा **Dash Board** पर **Update** नहीं किया जायेगा तो यह समझा जायेगा कि संबंधित छात्र/छात्रा नामांकन हेतु महाविद्यालयों में उपस्थित नहीं हुए। उन सीटों को रिक्त मानते हुए विश्वविद्यालय द्वारा द्वितीय चयन सूची जारी किया जायेगा।

5. परीक्षा संबंधी विनयमन के अनुसार छात्र/छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अतः कम उपस्थिति वाले छात्र/छात्राओं की सूचनाऐं सभी विभागाध्यक्ष/प्रधानाचार्य ससमय परीक्षा नियंत्रक को दे देंगे।

माननीय कुलपति महोदय के आदेश से।

विश्वासभाजन,

27/03/2023

अध्यक्ष, छात्र–कल्याण

27/3/23